

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1481 / 2023

दिनांक 15.05.2023

श्री अरुण कुमार बेरीवाल (RJ00172), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा को दिनांक 20.03.2023 से 22.03.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री बेरीवाल की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/35/2013/3201

दिनांक :15.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा को उनके पत्रांक 323 दिनांक 24.03.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अरुण कुमार बेरीवाल (RJ00172), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।

सहायक रजिस्ट्रार